



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 13.06.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद के प्रत्येक थाने/कार्यालय/आवासीय परिसर में स्वच्छता हेतु चला विशेष साफ-सफाई अभियान...

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह द्वारा निर्गत निर्देश जिसमें प्रत्येक रविवार को जनपदीय पुलिस के सभी थाने/कार्यालय/आवासीय परिसर में नियुक्त पुलिसकर्मियों द्वारा अपने नियुक्त स्थान पर स्वच्छता बनाये रखने सम्बन्धी निर्देश दिये गये थे जिसके क्रम में आज दिनांक 13.06.2021 को जनपदीय पुलिस द्वारा स्वच्छता हेतु विशेष साफ - सफाई अभियान शुरु किया गया । जिसमें अधिकारी/कर्मचारीगणों के द्वारा बढ-चढकर भाग लिया गया तथा अपने आस-पास के क्षेत्र को साफ किया गया ।

अभियान के दौरान पुलिस अधीक्षक ने उपस्थित सभी से अपील की के वह जहां भी निवासित/नियुक्त हैं वहां का कुडा-कचरा एक निश्चित स्थान पर फेंके और समय-समय पर उसको नियमानुसार नष्ट भी करें । जिससे हम भी स्वस्थ रहेंगे तथा हमारे आस-पास का माहौल भी स्वच्छ बना रहेगा तथा संक्रामक बीमारी भी नहीं फैल पायेगी ।

यह अभियान सामूहिक रूप से जनपदीय पुलिस के सभी कार्यालय / थाना / आवासीय परिसर पर चला जिसमें सभी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा लगातार साफ-सफाई बनाये रखने का संकल्प लिया गया ।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 13.06.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना खरेला पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार...

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपदीय पुलिस द्वारा चलाये जा रहे अवैध शराब के निर्माण व बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान व इसमें लिप्त अपराधियों के गिरफ्तारी अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री उमेश चन्द्र के कुशल पर्येक्षण में चलाये जा रहे अवैध शराब व जुआं अभियान के दृष्टिगत प्र०नि० खरेला श्री अनूप कुमार दुबे द्वारा गठित संयुक्त पुलिस टीम ने अभियान अवैध शराब की रोकथाम के दौरान अभियुक्तगण क्रमशः दिबिया पुत्र सिद्धगोपाल उम्र 40 वर्ष को 19 अदद पउवा देशी नाजायज के साथ टिकरी रोड थाना खरेला जनपद महोबा से गिरफ्तार किया गया, बरामदगी के आधार अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु०अ०स० 67/21 धारा 60 आब० अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत करते हुये नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित की गयी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ०नि० जाकिर अली थाना खरेला जनपद महोबा
- 2.का० शैलेन्द्र प्रजापति
- 3.का० राहुल यादव

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

दिबिया पुत्र सिद्धगोपाल नि० ग्राम जरौली थाना खरेला जनपद महोबा
बरामदगी–

अभियुक्त के कब्जे से 19 अदद क्वार्टर देशी शराब का बरामद होना।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 13.06.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना खरेला की संयुक्त पुलिस टीम ने ताश-पत्तों से हार-जीत की बाजी लगा रहे अभियुक्तों को किया गिरफ्तार...

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपदीय पुलिस द्वारा जनपद को अपराधमुक्त बनाने तथा आपराधिक गतिविधियों में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी चरखारी निकट पर्येक्षण में चलाये जा रहे जुआं व अवैध शराब के विरुद्ध अभियान के दृष्टिगत प्र०नि० खरेला श्री अनूप कुमार दुबे द्वारा गठित संयुक्त पुलिस टीम ने अभियान में शामिल हुये जिसमें प्रथम टीम द्वारा ग्राम बल्लाय से 08 नफर अभियुक्त क्रमशः 1.जौहर राजपूत पुत्र मोहनलाल उम्र करीब 45 वर्ष 2.सुखलाल विश्वकर्मा पुत्र कृपाल उम्र करीब 58 वर्ष 3.वीरेन्द्र कुमार राजपूत पुत्र हरिश्चन्द्र राजपूत उम्र करीब 22 वर्ष 4.टुट्टी अहिरवार पुत्र रामचरन उम्र 35 वर्ष 5.राहुल अहिरवार पुत्र देवीलाल उम्र 20 वर्ष 6.महेशचन्द्र श्रीवास पुत्र काशीराम उम्र 20 वर्ष 7.रामबाबू अहिरवार पुत्र मइयादीन उम्र 40 वर्ष 8.रामकृपाल राजपूत पुत्र होरीलाल उम्र 40 वर्ष को ताश पत्तों से हारजीत की बाजी लगाकर जुँआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया । जिसमें मालफड 3200 रू० जामातलाशी 1530 रू० व 52 अदद ताश के पत्ते बरामद हुए । अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु०अ०स० 68/21 धारा 13 जुआ अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया ।

इसी क्रम में द्वितीय टीम द्वारा विदावर जाने वाली सडक पर पुलिया के पास से 03 नफर अभियुक्त क्रमशः 1.अनिल कुमार सोनी पुत्र रघुवीर शरण सोनी उम्र करीब 36 वर्ष 2.धनश्याम साहू पुत्र रामदास साहू उम्र करीब 33 वर्ष 3.शिवदिनेश सिंह पुत्र बलवीर सिंह उम्र

करीब 36 वर्ष को ताश पत्तों से हारजीत की बाजी लगाकर जुँआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया, अभियुक्तगण उपरोक्त के पास से मालफड 2600 रू० जामातलाशी 1800 रू० व 52 अदद ताश के पत्ते बरामद हुए । अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु०अ०स० 66/21 धारा 13 जुआ अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण –

- 1.उ०नि० उमेश कुमार
- 2.का० हवन कुमार यादव
- 3.का० सोहित कुमार
- 4.का० अनिल कुमार
- 5.का० सुदयवीर यादव
- 6.का० विकास कुमार
- 7.का० शैलेन्द्र कुमार
- 8.का० राहुल यादव





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 13.06.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना पनवाड़ी पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार...

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपदीय पुलिस द्वारा चलाये जा रहे अवैध शराब के निर्माण व बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान व इसमें लिप्त अपराधियों के गिरफ्तारी अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री तेजबहादुर सिंह के सफल पर्येक्षण में चलाये जा रहे अवैध शराब व जुआं अभियान के दृष्टिगत दिनांक 12.06.2021 को थाना पनवाड़ी प्रभारी निरीक्षक श्री विजय कुमार सिंह द्वारा गठित की गयी टीम ने ग्राम नकरा में जोगिन मुहल्ला मन्दिर के पास से अभियुक्त धर्मेन्द्र राजपूत उर्फ विधायक पुत्र परशुराम निवासी ग्राम नकरा थाना पनवाड़ी जिला महोबा को गिरफ्तार किया जिसके कब्जे से 22 अदद क्वार्टर ठेका देशी शराब नाजायज बरामद की गयी, जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु.अ.सं. 123/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही सम्पादित की गयी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ.नि. शेरे आलम खां थाना पनवाड़ी महोबा।
2. का. शत्रुघन सिंह 3. का. गौरव तिवारी 4. का. कृष्णकान्त 5. का. रोहित कुमार

अपराध विवरण -

मु.अ.सं. 123/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना पनवाड़ी जिला महोबा।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण...

धर्मेन्द्र राजपूत उर्फ विधायक पुत्र परशुराम निवासी ग्राम नकरा थाना पनवाड़ी जिला महोबा।

बरामदगी -

22 अदद क्वार्टर ठेका देशी शराब नाजायज।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 13.06.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना श्रीनगर पुलिस टीम ने अवैध रूप से शराब की बिक्री कर रहे अभियुक्त के विरुद्ध की कड़ी कार्यवाही...।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा चलाये जा रहे अवैध शराब के निर्माण व बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान व इसमें लिप्त अपराधियों के गिरफ्तारी अभियान के क्रम में दिनांक 12.06.2021 को थाना श्रीनगर SHO श्री संजय कुमार शर्मा द्वारा गठित आबकारी व पुलिस की संयुक्त टीम ने अभियुक्त संतोष सिंह पुत्र गोविन्द दास घोष उम्र 50 वर्ष निवासी मोहल्ला दाऊपुरा कस्बा व थाना श्रीनगर जनपद महोबा को म०प्र० निर्मित व म०प्र० बिक्री हेतु निर्मित बीयर को कैमाहा दुकान में बेचते हुये गिरफ्तार किया जिसमें अभियुक्त के कब्जे से दो प्लास्टिक की बोरियों में 30 बोतल बियर किंगफिशर 650 ml व 45 कैन 10000 स्ट्रॉंग प्रीमियम बियर 500ml बरामद हुई, बरामदा अवैध माल के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 91/21 धारा 60/63 आब० अधि० पंजीकृत किया गया तथा आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुये अभि० को मान० न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण...

1. संतोष सिंह पुत्र गोविन्द दास घोष उम्र 50 वर्ष नि.मो० दाऊपुरा कस्बा व थाना श्रीनगर जिला महोबा



गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम...

1. उ०नि० हेमराज सिंह
2. कां० जगवीर सिंह
3. कां० तेज सिंह
4. आबकारी निरीक्षक रामकृष्ण चतुर्वेदी मय टीम।



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 13.06.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह ने थाना चरखारी व खरेला का किया औचक निरीक्षण एवं दिये आवश्यक निर्देश...

दिनांक 12.06.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह द्वारा दौराने देखभाल क्षेत्र/शान्तिव्यवस्था के दृष्टिगत सर्किल चरखारी क्षेत्र अन्तर्गत थाना चरखारी तथा थाना खरेला का औचक निरीक्षण किया गया, इस दौरान कोविड केयर डेस्क का निरीक्षण किया गया जिसमें पुलिस अधीक्षक द्वारा सम्बन्धित को निर्देशित करते हुये कहा कि प्रतिदिन थाना हाजा में नियुक्त समस्त अधि०/कर्म० की चेकिंग (तापमान, ऑक्सीजन लेवल आदि) कर रजिस्टर में अंकन करने के निर्देश देते हुये कहा कि इसकी नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाये किसी भी कर्मचारी को कोविड के कोई भी लक्षण दिखते हैं तो तत्काल सम्बन्धित को आवश्यक उपचार मुहैया कराये जाने हेतु सम्बन्धित को सख्त निर्देश दिये, इसी क्रम में थाना कार्यालय, **CCTNS**, हवालात, भोजनालय, बैरक, महिला हेल्प डेस्क, थाना परिसर की साफ-सफाई व अभिलेखों के रख-रखाव का अवलोकन किया गया तथा सम्बन्धित को सख्त निर्देश देते हुये कहा कि थाने में जो भी फरियादी आये उनकी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना जाये तथा सभी का समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाये।

इसी क्रम में माल निस्तारण हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये, इसी क्रम में थानाहाजा पर विशेष साफ-सफाई बरतने के निर्देश दिये गये तथा थाने में तैनात पुलिस कर्मियों से संवाद स्थापित करते हुये सभी का कुशलक्षेम पूछा गया।

औचक निरीक्षक के दौरान क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री उमेश चन्द्र, प्रभारी निरीक्षक थाना चरखारी श्री शशि कुमार पाण्डेय, प्रभारी निरीक्षक थाना खरेला श्री अनूप कुमार दूबे व अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 13.06.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना श्रीनगर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के आरोपी को किया गया गिरफ्तार



आज दिनांक 13.06.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के कुशल निर्देशन में चलाये जा रहे वाँछित/वारन्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के तहत प्र०नि० श्रीनगर संजय कुमार शर्मा द्वारा गठित टीम ने थाना स्थानीय पर पंजीकृत **मु०अ०सं० 90/21 धारा 376 भादवि व 4 पाक्सो एक्ट व धारा 3(2)5 SC/ST ACT** में वाँछित अभियुक्त जाहर सिंह पुत्र राजा बाबू यादव उम्र करीब 28 वर्ष, निवासी ग्राम उरवारा थाना श्रीनगर जनपद महोबा को मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

जाहर सिंह पुत्र राजा बाबू यादव उम्र करीब 28 वर्ष, निवासी ग्राम उरवारा थाना श्रीनगर जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ०नि० वीरेन्द्र कुमार शुक्ला
2. कां० कुलदीप सिंह
3. रि०का० आदेश शुक्ला



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 13.06.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



क्षेत्राधिकारी नगर/चरखारी द्वारा पैदल गस्त करके कराया गया वीकेंड लॉकडाउन का पालन

यातायात नियमों के उल्लंघन पर 21 ई-चालान व कोविड-19 नियमों के उल्लंघन पर 25 व्यक्तियों से 3200/-रु० शुल्क वसूला गया।



आज दिनांक 13.06.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के कुशल निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय एवं क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री उमेश चन्द्र द्वारा मय पुलिस बल के साथ सर्किल के थाना क्षेत्रों के मुख्य बाजार/चौराहो आदि जगहों पर पैदल गस्त करके संदिग्धों की चेकिंग की गई व लोगों को संदेश दिया कि कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए मास्क का प्रयोग, सोशल डिस्टेंसिंग आदि नियमों का पालन करते रहे। इस दौरान लोगों से **वीकेंड लॉकडाउन (शुक्रवार शाम 07.00 बजे से सोमवार सुबह 07.00 बजे तक)** का पालन करने की अपील की गई।